समक्ष, माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर ।

बद्री विशाल तनय श्री केमलाराम ब्रा0 उम्र 83 वर्ष, पेशा- खेती निवासी ग्राम अबरकौआढ़ान, राजस्व निरीक्षक मण्डल खटखरी तहसील- हनुमना, जिला- रीवा (म0प्र0) -------- अपीलार्थी (आवेदक)

बनाम

1- नन्दलाल तनय शिवसेवकराम ब्रा0 निवासी ग्राम अब्बरकौआढ़ान शाहपुर, राजस्व निरीक्षक मण्डल खटखरी, थाना व तहसील- हनुमना, जिला- रीवा (म0प्र0)

2- शासन म0प्र0 ------ प्रत्यर्थीगण/अनावेदकगण

न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 126/99-2000 में पारित आदेश आर्डरशीट दि0 20/10/2000 के विरुद्ध अपील ।

मान्यवर,

प्रकरण से सम्बन्धित संक्षिप्त में तथ्य निम्नलिखित है :-

(01) यहकि ग्राम अब्बरकौआढ़ान ज0नं0 40 स्थित भूमि खसरा क्र025 क्षेत्रफल 0.74 ए0, के अंश रकबा 0.17 डि0, पर कब्जा दखल की प्रविष्टि गलती खसरा में किये जाने अर्थात खसरे में अशुद्ध प्रविष्टि सुधार के सम्बन्ध में वर्तमान अपी0/आवेदक बद्री विशाल ने, नायब तहसीलदार वृत्त खटखरी (श्री ए.के. झा) तहसील- हनुमना के समक्ष बतौर मुकदमा धारा- 115 म0प्र0 भू-रा0सं0 1959 के अधीन प्रकरण का संज्ञान कर कार्यवाही करने हेतु दिया था ।

(02) जिस पर प्रकरण के चलते प्रत्यर्थी क्र0-1 नन्दलाल तनय श्री शिवसेवकराम ने आपत्ति प्रस्तुत करते हुए अपी0/आवेदक के आवेदन पत्र का विरोध किया था ।

(03) यहकि प्रकरण के चलते दिनांक 31/7/98 को अपीलार्थी/आवेदक ने अपने मूल आवेदन पत्र में प्रश्नाधीन भूमि के रकबा (क्षेत्रफल) सम्बन्धी सुधार तथा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आवेदन पत्र में समाविष्ट करने हेतु

आदि के हस्ताक्षर

9-12-14	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक एवं उनके अभिभाषक को तीन बार आवाज लगाई गई, कोई उपस्थित नहीं। आवेदक की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने से प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (हस्ताक्षर) अध्यक्ष	